Postal Reg. No. : XXXXXXXXX

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

वर्ष 1

साप्ताहिक क़ादियान

बदर

The Weekly BADAR Qadian HINDI

अंक 24

मूल्य 300 रुपए वार्षिक

संपादक शेख़ मुजाहिद अहमद

18 अगस्त 2016 ई

14 ज़िलकअदा 1437 हिजरी कमरी

अख़बार-ए-अहमदिया

रूहानी ख़लीफ़ा इमाम जमाअत अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बेनस्रेहिल अज़ीज सकुशल हैं। अलहम्दोलिल्लाह। अल्लाह तआला हुज़ूर को सेहत तथा सलामती से रखे तथा प्रत्येक क्षण अपना फ़जल नाज़िल करे। आमीन

कुरआन शरीफ ने स्थान स्थान पर पूर्ण तौहीद को रसूल के पालन से जोड़ा है। क्योंकि पूर्ण तौहीद एक नया जीवन है और इसके अतिरिक्त मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता जब तक ख़ुदा के रसूल का अनुयायी होकर अपनी सांसारिक जीवन पर मौत वारिद न करे।

क्योंकि एकेश्वरवाद की वास्तविकता यह है कि जैसा कि इंसान आकाशीय झूठे उपास्यों से किनारा करता है अर्थात मूर्तियों या मनुष्यों या सूरज चाँद आदि की पूजा से किनारा करता है, ऐसा ही नफस के झूठे देवताओं से परहेज़ करे अर्थात अपनी आध्यात्मिक शारीरिक शक्तियों पर भरोसा करने से और उनके माध्यम से अंहकार की विपत्ति में गिरफ्तार होने से अपने आप को बचाए।

उपदेश हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम

हम वर्णन कर चुके हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि इंसान ख़ुदा तआला की हस्ती पर पूर्ण विश्वास पैदा करे और न केवल विश्वास बल्कि आज्ञाकारिता के लिए भी कमर कस ले और उसकी सहमति के मार्गों की पहचान करे। और जब से कि दुनिया पैदा हुई है ये दोनों बातें केवल ख़ुदा तआला के रसूल के माध्यम से ही प्राप्त होती आई हैं तो कितना यह लग़्व विचार है कि एक व्यक्ति तौहीद तो रखता हो मगर ख़ुदा तआला के रसूल में विश्वास नहीं करता वह भी बचाया जाएगा। हे बुद्धि के अंधे और मूर्ख ! तौहीद सिवाय रसूल के कब मिल सकती है। यह तो ऐसा ही उदाहरण है कि जैसे एक व्यक्ति को उज्ज्वल दिन से तो वैर करे और भागे और फिर कहे कि मेरे लिए सूर्य ही काफी है दिन की क्या आवश्यकता है। वे मूर्ख नहीं जानता कि क्या सूर्य कभी दिन से अलग होता है। हाय अफसोस यह नादान नहीं समझते कि ख़ुदा तआला की हस्ती तो अत्यधिक छिपी और ग़ैब में और पर्दे के पीछे है और कोई बुद्धि उसे तलाश नहीं कर सकती जैसा कि वह खुद कहता है।

لَا تُدۡرِکُہُ الۡاَبۡصَارُ وَھُوَ یُدۡرِکُ الۡاَبۡصَارَ

अर्थात आंखों से देखना और बुद्धि से समझना उसको पा नहीं सकता और वह उनकी सीमाओं को जानता है और उन पर हावी है। इसलिए उसकी तौहीद मात्र बुद्धि के माध्यम से असंभव है क्योंकि एकेश्वरवाद की वास्तविकता यह है कि जैसा कि इंसान आकाशीय झूठे उपास्यों से किनारा करता है अर्थात मूर्तियों या मनुष्यों या सूरज चाँद आदि की पूजा से किनारा करता है, ऐसा ही नफस के झूठे देवताओं से परहेज़ करे अर्थात अपनी आध्यात्मिक शारीरिक शक्तियों पर भरोसा करने से और उनके माध्यम से अंहकार की विपत्ति में गिरफ्तार होने से अपने आप को बचाए। इसलिए इस रूप में स्पष्ट है कि अपने आप को छोड़ने और रसूल का दामन पकड़ने के एकेश्वरवाद प्राप्त नहीं हो सकती।

और जो व्यक्ति अपनी किसी शक्ति को अल्लाह तआला के साथ साझा ठहराता है वह क्योंकर तौहीद वाला कहला सकता है। यही कारण है कि कुरआन शरीफ ने स्थान स्थान पर पूर्ण तौहीद को रसूल के पालन से जोड़ा है। क्योंकि पूर्ण तौहीद एक नया जीवन है और इसके अतिरिक्त मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता जब तक ख़ुदा के रसूल का अनुयायी होकर अपनी सांसारिक जीवन पर मौत वारिद न करे। इस के अतिरिक्त कुरआन शरीफ में उन नादानों के कथन के अनुसार विपरीत अर्थ होना अनिवार्य होता है क्योंकि एक तरफ तो स्थान स्थान पर वह यह कहता है कि रसूल के माध्यम के बिना तौहीद प्राप्त नहीं हो सकती और न मुक्ति मिल सकती है। फिर दूसरी ओर मानो वह यह कहता है कि मिल सकती है हालांकि तौहीद और मोक्ष का सूर्य और उसे प्रकट करने वाला केवल रसूल ही होता है उसी के प्रकाश से तैहीद प्रकट होती है तो ऐसा विपरीत अर्थ होना ख़ुदा की वाणी की ओर सम्बन्धित नहीं हो सकता ।

बड़ी ग़लती उस नादान की यह है कि उस ने तौहीद की सच्चाई को पूरी तरह नहीं समझा तौहीद एक प्रकाश है जो आकाशीय तथा नफस के उपास्यों को नकारने के बाद दिल में पैदा होती है और अस्तित्व के कण कण में छा जाती है तो वह केवल ख़ुदा और उस के रसूल के मात्र अपनी शक्ति से कैसे मिल सकती है मनुष्य का केवल यह काम है कि अपने अंहकार पर मौत वारिद करे उस शैतानी अभिमान को छोड़ दे कि मैं ज्ञान में पोषण प्राप्त हूँ और एक अज्ञानी की तरह अपने प्रति कल्पना करे और दुआ में लगा रहे तब तौहीद की ज्योति ख़ुदा की ओर से उस पर अवतरित होगी और एक नया जीवन उसे बख्शेगी।

अंत में हम यह बयान करना भी ज़रूरी समझते हैं कि अगर हम कल्पना के रूप में स्वीकार कर लें कि अल्लाह शब्द एक सामान्य अर्थों पर आधारित है जिसका अनुवाद ख़ुदा है और उनके अर्थ को नजर अंदाज़ कर दें जो कुरआन शरीफ पर विचार डाल कर ज्ञात होता हैं अर्थात यह कि अल्लाह तआला के अर्थ में यह दर्ज है कि वह वह हस्ती है जिसने कुरआन शरीफ भेजा और आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को भेजा। तब भी यह आयत विरोधी को उपयोगी नहीं हो सकती क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि अल्लाह तआला का मानना मुक्ति के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अल्लाह पर जो ख़ुदा तआला का सबसे बड़ा नाम है और सम्पूर्ण सम्मान वाले गुणों का सार है ईमान लाएगा तो ख़ुदा उसे बर्बाद नहीं करेगा और धीरे धीरे उसे इस्लाम की ओर लाएगा क्योंकि एक सच्चाई दूसरी सच्चाई में प्रवेश करने के लिए सहायता करती है और अल्लाह तआला पर शुद्ध ईमान लाने वाले अन्त में सच्चाई को पा लेते हैं।

(रूहानी खज़ायन,भाग 22, हकीकतुल वह्यी, पृष्ठ 147 -149)

☆ ☆ ☆

जमील अहमद नासिर प्रिंटर एवं पब्लिशर ने फ़ज़्ल-ए-उमर प्रिंटिंग प्रेस क़ादियान में छपवा कर दफ़्तर अख़बार बदर से प्रकाशित किया। प्रौपराइटर - निगरान बदर बोर्ड क़ादियान

अगर जमाअत का प्रत्येक व्यक्ति ख़लीफतुल मसीह के निर्देश और उपदेशों का पालन करे तो उन्नत आज्ञाकारिता और एकता स्थापित हो। और विकास और इस्लाम की तब्लीग़ और मानव सेवा की अद्भुत राहें खुलेंगी।

अगर आप भीतरी परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करते और अपने चरित्र और कर्मों में एक सकारात्मक बदलाव नहीं लाते तो आप में और अन्य मुसलमानों में कोई अंतर नहीं है।

आप का नमूना ऐसा होना चाहिए कि हर कोई अपने परिवेश में आप की नेकी और आदतों की प्रशंसा करने वाला हो। ऐसी आदत कि जिन में आप ने सभी प्रकार की बुराई को इस हद तक त्याग दिया हो कि आप के नमूनों में उन्नत इस्लामी मूल्यों और रिवायतों को देखा जा सके।

अगर सारे जलसा सालाना में शामिल होने वाले यह उच्च नैतिक मूल्यों को अपना लें तो एक सुन्दर परिवेश पैदा हो जाएगा।
मैं आपको यह भी नसीहत करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अधिकतम M.T.A सुनें और मेरे ख़ुत्बे और विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों को सुनें।

सन्देश सय्यदना अमीरुल मोमिनीन ख़लीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बेनस्त्रेहिल अज़ीज़ जलसा सालाना घाना जनवरी 2016 ई

जमाअत अहमदिया घाना (पश्चिम अफ्रीका) का 84 वां जलसा सालाना 7 से 9 जनवरी 2016 ई को बाग़े अहमद में आयोजित किया गया " बाग़े अहमद" 460 / एकड़ पर आधारित एक सुंदर भूमि है जहां जमाअत अहमदिया घाना का सालाना जलसा आयोजित होता है। जलसा में उप राष्ट्रपति घाना, संघीय मंत्रियों और अन्य सरकारी उच्च अधिकारियों, टरीडेशनल प्रमुखों और क्षेत्र के सम्मान्नीय शामिल हुए। तथा नाइजीरिया और जर्मनी के अमीर को भी जमाअत के लोगों के साथ शामिल होने की तौफ़ीक़ मिली और पश्चिमी अफ्रीका के अन्य देशों से भी मेहमान शामिल हुए। जलसा की कुल उपस्थिति 36000 थी। विस्तृत रिपोर्ट अल्फज़ल इंटरनेशनल लंदन 25 मार्च 2016 पृष्ठ नंबर 12 पर देखी जा सकती है। हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्त्रेहिल अज़ीज़ ने जलसा के लिए दया कर के अपना संदेश भी भेजा जो अख़बार बदर के पाठकों के लिए नीचे प्रस्तुत है। अल्लाह तआला हम सब हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्त्रेहिल अज़ीज़ के इन सुनहरे उपदेशों और निर्देशों पर पालन करने की तौफ़ीक़ प्रदान फरमाए। आमीन। (संपादक)

मेरे प्यारे जमाअत अहमदिया घाना के सदस्यों!

अस्सलामो अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहु

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप दिनांक 7,8 और 9 जनवरी को अपना जलसा सालाना आयोजित कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तआला आपके इस जलसा को सफल करे और जलसा के सभी सम्मिलित होने वाले जलसा की आध्यात्मिक बरकतों और अनगिनत लाभ प्राप्त करने वाले हों।

मैंने अपने ख़ुत्बा में बार बार एक सच्चा और निष्ठावान अहमदी बनने के लिये कोशिश करने के महत्त्व पर ज़ोर दिया है और इस बात पर भी कि अल्लाह तआला जो इस ज़माने में हज़रत मसीह मौऊद को भेजा फरमाया इस का उद्देश्य भी यही है कि लोगों के दिलों में ख़ुदा तआला की हस्ती पर सच्चा ईमान पैदा हो और दुनिया में ऐसे सच्चे ईमानदार पैदा हों जो इस्लामी शिक्षा के शानदार नमूने प्रमाणित हों। इसके लिए हम अहमदियों को जिन्होंने आप को स्वीकार किया और आप की बैअत की, यह कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उन लोगो लोगों में से हों जिन्होंने इस धरती पर इस्लाम के सर्वश्रेष्ठ नमूने स्थपित किए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं:

" मेरे बेसत के दो बड़े लक्ष्य हैं। एक उस आदमी पूर्ण रूप से ख़ुद को ख़ुदा तआला के सुपुर्द कर दे। और दूसरे यह कि वे एक दूसरे से मुहब्बत और सहानुभूति प्रकट करे, इसलिए ऐसा आदर्श नमूना पेश करो जो अन्य धर्मों के अनुयायियों को चमत्कार और करामतों में से लगे। " (मल्फूज़ात भाग 1 पृष्ठ 236)

इसलिए यह ज़रुरी है कि आप अपने मन में इन महान लक्ष्यों को याद रखें जिस के लिए हज़रत मसीह मौऊद ने इस जमाअत की स्थापना की थी। और आप को इन दो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। प्रथम और सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि हमें ख़ुदा के साथ अपने संबंध में बहुत गंभीर होना होगा। और साथ ही नेकियों को अपने अंदर जारी करने और अपनी सेवाओं के दायरे अपने पड़ोसियों से लेकर अपनी क़ौम और फिर इस से भी आगे बढ़कर सारी मानवता तक व्यापक करते चले जाना है। हमें यह समीक्षा भी करते रहना चाहिए कि हम बैअत की शर्तें किस हद तक पूरी की हैं। हज़रत मसीह मौऊद ने फरमाया है:

" यह बैअत का सिलसिला केवल मुत्तकीन अर्थात् तक्वा वाले लोगों के गिरोह के एकत्रित करने के लिए है ताकि ऐसे मुत्तकियों का एक विशाल गिरोह दुनिया में एक अच्छा प्रभाव डाले और उन की सहमति इस्लाम के लिए सम्मान और अच्छे परिणाम का कारण हो और एक कलमा पर सहमत होने के इस्लाम की पवित्र सेवा में जल्द काम आ सकें और एक आलसी और कंजूस बेकार मुसलमान न हों, और न उनके अयोग्य लोगों की तरह जिन्होंने अपने फूट और असहमति की वजह से इस्लाम को भारी नुकसान पहुंचाई है ....बल्कि वह ऐसी जाति के हमदर्द हों कि गरीबों का आश्रय हो जाएँ। यतीमों के लिए बापों की तरह बन जाएं और इस्लामी कार्यों के अन्जाम देने के लिए अत्यधिक प्रेमी की तरह कुर्बान होने को तैयार हों और सारी कोशिशें इस बात के लिए करें कि उनकी आम बरकतें दुनिया तक फैलें और अल्लाह तआला की मुहब्बत और सहानुभूति ख़ुदा के बन्दों का पवित्र फव्वारा प्रत्येक दिल से निकल कर और एक जगह एकत्रित होकर एक दरिया के रूप में बहता हुआ नज़र आए ...

ख़ुदा तआला ने इस गिरोह को अपनी महिमा प्रकट करने के लिए और अपनी कुदरत दिखाने के लिए पैदा करना और फिर तरक्की देना चाहा है ताकि दुनिया में अल्लाह तआला की मुहब्बत और सच्ची तौबा और पवित्रता और वास्तविक नेकी और शांति और क्षमता और मानव जाति की सहानुभूति को फैला दिया।

(मजमूआ इश्तेहारात, भाग1 पृष्ठ 196.198)

इसलिए आप केवल शब्दाडंबर करने वाले ही न हों बल्कि हज़रत मसीह मौऊद से किए गए बैअत के वादे के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने वाले होने चाहिए। आप को अपने अंदर बदलाव पैदा करना चाहिए। क्योंकि निरे शब्दाडंबर से आप ख़ुदा तआला को ख़ुश नहीं कर सकते।अगर आप भीतरी परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करते और अपने चरित्र और कार्मों में एक सकारात्मक बदलाव नहीं लाते तो आप में और अन्य मुसलमानों में कोई अंतर नहीं है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बड़े स्पष्ट शब्दों में फरमाया है।

" इस जमाअत में प्रवेश कर के पहले जीवन में परिवर्तन करना चाहिए कि ख़ुदा पर ईमान सच्चा हो और वे हर मुसीबत में काम आए, फिर उसकी आज्ञाओं पर हल्की नज़र से न देखा जाए बल्कि एक एक आदेश का सम्मान किया जाए और व्यवहार में सम्मान का सुबूत दिया जाए। " (ज़िक्रे हबीब, पृष्ठ 436)

आप का नमूना ऐसा होना चाहिए कि हर कोई अपने परिवेश में आप की नेकी और आदतों की प्रशंसा करने वाला हो। ऐसी आदत कि जिन में आप ने सभी प्रकार की बुराई को इस हद तक त्याग दिया हो कि आप के नमूनों में उन्नत इस्लामी मूल्यों और रिवायतों को देखा जा सके। आप में से प्रत्येक को हज़रत मसीह मौऊद के उपदेशों के अनुसार अपनी हालत को सुधारने और अपने सुधार की यथा संभव कोशिश करनी चाहिए। अगर सारे जलसा सालाना में शामिल होने वाले यह उच्च नैतिक मूल्यों को अपना लें तो एक सुन्दर परिवेश पैदा हुई हो जाएगा। जो वास्तविक सच्चाई के इच्छुकों को अहमदियत की सुन्दरता की ओर खींचेगा। इस प्रकार के अनुपमीय नमूना और व्यवहार का केवल जलसा सालाना के दौरान एक अस्थायी प्रकटन नहीं होना चाहिए। बल्कि

शेष पृष्ठ 7 पर

ख़ुत्बः जुमअः

यह जमाअत के उहदेदारों के चुनाव का साल है। अब प्राय स्थानों पर चुनाव हो चुके हैं देशों में भी और स्थानीय जमाअतों में भी। अमीरों, सदर साहिबों और अन्य उहदेदारों तथा मुबल्लिग़ीन को नसीहतें।

यह एक बुनियादी अंतर होना चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों का जो जमाअत के कार्यों की ज़िम्मेदारी संभालते हैं कि उन्हें हमेशा सत्य पर कायम रहते हुए और अपने तक्वा के स्तर को बढ़ाते हुए अपने काम अंजाम दें।

अगर तरबियत विभाग सक्रिय हो जाए तो कई अन्य क्षेत्रों के काम अपने आप हो जाते हैं। तरबियत का काम पहले अपने घर से शुरू करें और यह घर केवल सैक्रेटरी तरबियत घर नहीं है बल्कि कार्यकारिणी के हर सदस्य का घर है और कार्यकारिणी सबसे बढ़कर है कि वह अपनी तरबियत करे। अमीर जमाअत सदर जमाअत और सैक्रेटरी तरबियत पहले जो भी कार्यक्रम बनाते हैं अपनी कार्यकारिणी को देखना चाहिए कि वे इन कार्यक्रमों पर अनुकरण कर रही है कि नहीं। जो मूल आदेश हैं ख़ुदा तआला के और जो मनुष्य के जन्म का लक्ष्य है उसे कार्यकारिणी के सदस्य पूरा कर रहे हैं।

अल्लाह तआला के अधिकार में सबसे बड़ा अधिकार इबादत है और इसके लिए पुरुषों को यह आदेश है कि नमाज़ की स्थापना करो और नमाज़ की स्थापना जमाअत के साथ नमाज़ों का अदा करना है। इसलिए अमीर, सदर, उहदेदार अपनी नमाज़ों की रक्षा कर के इस की स्थापना और जमाअत के साथ अदायगी की भरपूर कोशिश करें। हमारे प्रत्येक उहदेदार में जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने का एहसास होना चाहिए वरना अमानतों का अधिकार देने वाले नहीं होंगे जिसकी कुरआन में बार बार नसीहत की गई है।

इसके अतिरिक्त भी कुछ बातें हैं जिनका उहदेदारों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और यह बातें लोगों के अधिकारों और जमाअत के व्यक्तियों साथ उहदेदारों के व्यवहार से संबंध रखती हैं।

एक विशेषता जो विशेष रूप से उहदेदारों के अंदर होनी चाहिए वह विनम्रता है। अपने अपने कार्य क्षेत्र को समझने के लिए नियमों को पढ़ें और समझें।

फिर एक गुण उहदेदारों का यह भी होनी चाहिए कि वह अधीनस्थों से अच्छा व्यवहार करें। किसी के मन में यह विचार नहीं होना चाहिए कि मेरा अनुभव और मेरा ज्ञान जमाअत के कार्य चला रहा है या मेरा अनुभव और ज्ञान जमाअत के कार्यों को चला सकता है। जमाअत के कार्यों को ख़ुदा तआला का फज़्ल चला रहा है।

फिर एक विशेषता उहदेदारों में जो होनी चाहिए वह बशाशत है और नैतिकता से व्यवहार करना है।

उहदेदारों और विशेष रूप से उहदेदारों सदरों और तरबियत के विभागों और फैसला करने वाली संस्थाओं की कि लोगों के लिए आसानियां बनाने के तरीके सोचें लेकिन यह भी ध्यान योग्य है कि अल्लाह तआला के आदेश के अंदर रहते हुए यह तरीके अपनाने हैं।

अमीरों और सदरों और जमाअत की सेकट्रीयों का यह भी बहुत महत्त्वपूर्ण काम है कि केंद्र से जो निर्देश जाते हैं या परिपत्र जाते हैं उन पर त्वरित और पूरे ध्यान से कार्रवाई और अपनी जमाअतों के द्वारा भी करवाया जाए।

मूसियों के विषय में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि पहली बात तो मूसियों को यह याद रखना चाहिए कि अपने चंदे की नियमित अदायगी और उसका हिसाब रखना प्रत्येक मूसी की अपनी ज़िम्मेदारी है लेकिन मुख्य कार्यालय और संबंधित सैकट्रेरीयों का काम भी है कि हर मूसी का हिसाब पूरा रखें और जब ज़रूरत हो उन्हें याद भी करवाएं कि उनके चंदे की क्या स्थिति है? मुल्क की जमाअत का काम है कि स्थानीय जमाअतों के सैक्रेटरियों को हरकत में लाएं और हर मूसी उनके संपर्क में हो।

अल्लाह तआला सभी उहदेदारों को तौफीक़ दे कि उन्हें अल्लाह तआला ने जो अगले तीन साल के लिए सेवा का मौका दिया है उसमें वह अधिकतम काम अपनी पूरी क्षमताओं के साथ निष्पादित कर सकें और अपनी हर कथनी और करनी से जमाअत में नमूना बनने वाले हों।

आदरणीया साहिबज़ादी ताहिरा सिद्दीक़ा साहिबा पत्नी आदरणीय साहिबज़ादा मिर्ज़ा मुनीर अहमद साहिब का देहान्त। मरहूमा का ज़िक्रे ख़ैर और नमाज़ जनाज़ा ग़ायब।

ख़ुत्बः जुमअः सय्यदना अमीरुल मो'मिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़,
दिनांक 15 जुलाई 2016 ई. स्थान - मस्जिद बैतुलफ़ुतूह, मोर्डन, यू.के.

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ۔ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۔

कुछ समय पहले मैं एक ख़ुत्बा में उल्लेख कर चुका हूँ कि यह जमाअत के उहदेदारों के चुनाव का साल है। अब प्राय स्थानों पर चुनाव हो चुके हैं देशों में भी और स्थानीय जमाअतों में भी और नए उहदेदारों ने अपने काम संभाल लिए है। उहदेदारों में कुछ स्थानों पर कुछ अमीर सदर साहिबान और अन्य उहदेदार नए चुने गए हैं लेकिन कई स्थानों पर पहले से काम करने वालों को ही फिर से चुना गया है। नए आने वालों को भी अल्लाह तआला का जहां शुक्रिया करना चाहिए कि उन्हें अल्लाह तआला ने जमाअत की सेवा के लिए चुना वहां विनम्रता से अल्लाह तआला के सामने झुकते हुए अल्लाह तआला से सहायता मांगनी चाहिए कि अल्लाह तआला उन्हें अमानत का हक़ अदा करने के लिए तौफीक़ दे जो उनको सौंपी गई है। इसी तरह जो उहदेदार फिर से निर्वाचित हुए हैं वे जहां अल्लाह तआला का धन्यवाद करें कि अल्लाह तआला ने उन्हें दोबारा सेवा की तौफ़ीक़ दी वहाँ अल्लाह तआला से यह विनम्र दुआ भी मांगें कि अल्लाह तआला ने उन्हें सारी क्षमताओं के साथ

इन अमानतों का हक़ अदा करने की शक्ति प्रदान करे और पिछले समय सेवा के दौरान उन से जो कमियां सुस्तियाँ और चूकें हो गईं जिसकी वजह से उनको सौंपी गई अमानतों का अधिकार नहीं दिया गया या सही अदायगी नहीं हो सकी। अल्लाह तआला एक तो इससे सर्फ नज़र फरमाए और फिर अपना फज़ल फरमाते हुए कि अगले तीन साल के लिए फिर से सेवा का अवसर उसने प्रदान फरमाया है और जो अमानतें उसे सौंपी गई हैं इनमें भविष्य में सुस्तियाँ और कमियां और चूकें न हों और उन अमानतों का हक़ अदा करने की अल्लाह तआला तौफीक़ प्रदान करे।

याद रखना चाहिए कि जमाअत की सेवा को कोई मामूली सेवा नहीं समझना चाहिए। सरसरी तौर पर नहीं लेना चाहिए। हम में से हर एक ने चाहे उहदेदार है या एक साधारण अहमदी है उसने यह वादा किया है कि वह धर्म को दुनिया में प्राथमिकता करेगा और जब एक व्यक्ति धर्म की सेवा या बतौर उहदेदार किसी सेवा करने को स्वीकार करता है या सेवा में लगाया जाता है तो उस पर दूसरों से अधिक बढ़कर यह ज़िम्मेदारी है कि वह अपने कार्यकाल को पूरा करे और याद रखे कि यह वादा उसने अल्लाह तआला से किया है और अल्लाह तआला ने अपने वादों को पूरा करने के कई स्थानों में कुरआन में उल्लेख किया है। इसलिए हमेशा याद रखें अल्लाह तआला ने यह बड़ा स्पष्ट फरमाया है कि तुम्हारे सुपुर्द की गई वस्तुएं जिन्हें तुम स्वीकार करते हो तुम्हारे वादे हैं इसलिए अपनी अमानतों और अपने वादों को पूरा करो। एक जगह अल्लाह तआला ने अपने वादा के सच्चे और तक्वा पर चलने वालों की यह निशानी बताई है कि

وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا

(अल्बकर: 178)

अर्थात अपने वादा को जब कोई वादा करें तो पूरा करने वाले हैं।

तो यह विशेष रूप से एक बुनियादी अंतर होना चाहिए, जो लोग जमाअत के कार्यों की ज़िम्मेदारी संभालते हैं कि उन्हें हमेशा सत्य पर कायम रहते हुए और अपने तक्वा की गुणवत्ता बढ़ाते हुए अपने काम अंजाम दें। अगर उनकी सच्चाई की गुणवत्ता में थोड़ी सी भी झूल है, कमी है, तो उनके तक्वा की गुणवत्ता एक साधारण जमाअत के व्यक्ति के लिए नमूना नहीं तो वह अपनी प्रतिज्ञा, अपने पद, अपनी अमानत के पक्ष को अदा करने के लिए ध्यान नहीं दे रहे।

इसलिए उहदेदार, सदर साहिबान सब से पहले अपनी कार्यकारिणी के सामने भी और जमाअत के व्यक्तियों सामने भी अपने नमूने स्थापित करें।

तरबियत के सैक्रेटरी जिनके ज़िम्मा तरबियत का काम है और तरबियत का काम तभी सही रंग में हो सकता है जब नमूने स्थापित हों जो काम करने वाला है, जिसकी ज़िम्मेदारी है दूसरों को नसीहत करने वाला है तो ख़ुद भी इन कार्यों पर अनुकरण करने वाला हो। इसलिए तरबियत के सैक्रेटरी भी अपने नमूने जमाअत के लोगों के सामने स्थापित करें कि जमाअत की तरबियत की ज़िम्मेदारी उन पर लागू होती है।

मैं कई अवसरों पर उल्लेख कर चुका हूँ कि अगर तरबियत विभाग सक्रिय हो जाए तो कई अन्य क्षेत्रों के काम अपने आप हो जाते हैं। जितनी जमाअत के लोगों की तरबियत की गुणवत्ता उच्च होगी उतना ही अन्य क्षेत्रों का काम आसान हो जाएगा। जैसे सैक्रेटरी माल का काम आसान हो जाएगा। सैक्रेटरी अमुरे आम्मा का काम आसान हो जाएगा। सैक्रेटरी तब्लीग़ का काम आसान हो जाएगा। इसी तरह अन्य क्षेत्रों का, कज़ा का काम आसान हो जाएगा।

मैं अक्सर कार्यकारिणी की बैठक में विभिन्न स्थानों पर कहा करता हूँ कि तरबियत का काम पहले अपने घर से शुरू करें और यह घर केवल सैक्रेटरी तरबियत का घर नहीं है बल्कि कार्यकारिणी के हर सदस्य का घर है और कार्यकारिणी सबसे बढ़कर है कि वह अपनी तरबियत करे। अमीर जमाअत, सदर जमाअत और सैक्रेटरी तरबियत पहले जो भी कार्यक्रम बनाते हैं अपनी कार्यकारिणी को देखना चाहिए कि वे इन कार्यक्रमों पर अनुकरण कर रही है कि नहीं। ख़ुदा तआला के जो मूल आदेश हैं और मनुष्य के जन्म का जो लक्ष्य है उसे कार्यकारिणी के सदस्य पूरा कर रहे हैं।? यदि नहीं तो फिर तक्वा नहीं।

अल्लाह तआला के अधिकार में सबसे बड़ा अधिकार इबादत है और इसके लिए पुरुषों को यह आदेश है कि नमाज़ की स्थापना करो और नमाज़ की स्थापना जमाअत के साथ नमाज़ों का अदा करना है। इसलिए अमीर, सदर, उहदेदार अपनी नमाज़ों की रक्षा कर के इस की स्थापना और जमाअत के साथ अदायगी की भरपूर कोशिश करें तो जहां इससे हमारी मस्जिदें आबाद होंगी, नमाज़ सेंटर आबाद होंगे वहां वह अल्लाह तआला के फज़लों को भी प्राप्त करने वाले होंगे और अपने व्यावहारिक नमूने से जमाअत के व्यक्तियों को भी प्रशिक्षित करने वाले होंगे। अल्लाह तआला के फज़लों वारिस भी होंगे। उनके कार्यों में आसानियां भी पैदा होंगी। केवल बातें करने वाले के नहीं होंगे। इसलिए काम करने वाले पहले अपनी समीक्षा करें कि किस सीमा तक उनकी कथनी और करनी एक हैं। अल्लाह तआला फरमाता है कि

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

(अस्सफ्फ 3)

अर्थात हे मोमिन वह बातें क्यों कहते हो जो करते नहीं।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि "यह आयत ही बतलाती है कि दुनिया में कहकर ख़ुद न करने वाले भी मौजूद थे और हैं और होंगे।" फरमाया कि "तुम मेरी बात सुन रखो और ख़ूब याद कर लो कि मनुष्य की बातचीत सच्चे दिल से न हो और व्यावहारिक शक्ति उसमें न हो तो वह प्रभाव दायक नहीं होती।"

(मल्फूज़ात भाग 1 पृष्ठ 67 संस्करण 1985ई प्रकाशन यू.के)

फिर फरमाया "याद रखो कि केवल शब्दाडंबर और भाषा काम नहीं आ सकती जब तक पालन न हो" और "केवल बातें अल्लाह तआला के निकट कुछ भी महत्तव नहीं रखतीं।"

(मल्फूज़ात भाग 1 पृष्ठ 77 संस्करण 1985ई प्रकाशन यू.के)

अनुकरण के अतिरिक्त अगर और बातें हैं अल्लाह तआला के नज़दीक उनका कोई महत्त्व नहीं।

तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला के इस आदेश के अनुसार खोलकर बताया कि हमारे कर्म और कथन में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे अधिक इस बात को सामने रखकर अपनी समीक्षा करने वाले हमारे उहदेदार होने चाहिए।

जहां दूरी अधिक हैं या कुछ घर हैं और मस्जिद या केंद्र की सुविधा मौजूद नहीं। वहाँ घरों में नमाज़ का आयोजन हो सकता है और वस्तुत: यह मुश्किल नहीं है। बहुत अहमदी जो इस का पालन करते हैं उनके पास कोई नियमित सेवा भी नहीं है किसी कार्यकारिणी के सदस्य भी नहीं हैं लेकिन अपने घरों में आसपास अहमदियों को इकट्ठा करके जमाअत के साथ नमाज़ का आयोजन करते हैं। तो अगर एहसास हो तो सब कुछ हो सकता है और हमारे प्रत्येक उहदेदार में जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने का एहसास होना चाहिए। वरना अमानतों का अधिकार देने वाले नहीं होंगे। जिसकी कुरआन में बार बार नसीहत की गई है।

इसलिए हमेशा उहदेदारों को यह बात सामने रखनी चाहिए कि अल्लाह तआला ने वास्तविक मोमिन की निशानी ही यह बताई है कि वह अपनी अमानतों और अपने पदों का ख्याल रखने वाले हैं उनकी निगरानी करने वाले हैं यह देखने वाले हैं कि कहीं हमें जो वस्तुएं सौंपी गई हैं और जो हम सेवा करने का वादा किया है इस में से कोई कमी और कोताही तो नहीं हो रही? क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह तआला ने कुरआन में यह भी फरमाया है कि

اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

(बनी इस्राईल 35) कि हर वादा के बारे में एक न एक दिन जवाब पूछा जाएगा। इबादत तो एक बुनियादी बात है और यही मानव जन्म का उद्देश्य है और इस का हक तो हम ने अदा करना ही है इसमें सुस्ती विशेष रूप से उहदेदारों से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बल्कि किसी भी वास्तविक मोमिन से नहीं होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त भी कुछ बातें हैं जिनका उहदेदारों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और यह बातें लोगों के अधिकारों और जमाअत के व्यक्तियों के साथ उहदेदारों के व्यवहार से संबंध रखती हैं और इस तरह यह बातें उहदेदारों के पदों से भी संबंध रखती हैं।

कोई उहदेदार अफसर बनने की अवधारणा या बनाए जाने के विचार से किसी सेवा पर तैनात नहीं किया जाता बल्कि इस्लाम में तो उहदेदार की कल्पना ही काफी अलग है और आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उसे इस तरह उल्लेख फरमाया है कि क़ौम का प्रधान क़ौम का सेवक होता है।

(कन्ज़ुल् अम्माल किताबुस्सफर भाग 6 पृष्ठ 302 हदीस 17513 प्रकाशन दारुल कुतब इलमिया बैरूत 2004 ई)

इसलिए एक उहदेदार का लोगों के मामले में अपनी अमानत का हक अदा करना उसका कौम का सेवक बनकर रहना है। और यह स्थिति उस समय पैदा हो सकती है जब व्यक्ति में कुर्बानी की भावना हो उसमें विनम्रता और विनय हो। उसका धैर्य का गुण दूसरों से उच्च हो। कई बार उहदेदारों को कुछ बातें भी सुननी पड़ती हैं। अगर सुननी पड़ी तो सुन लेनी चाहिए। अपनी यह समीक्षा तो उहदेदार

ख़ुद ही ले सकते हैं कि उनका यह सहन का पैमाना कितना ऊंचा है। किस हद तक है और विनम्रता की हालत उनकी किस हद तक है। कई बार ऐसे उहदेदारों के मामले भी सामने आ जाते हैं जिन में सहन बिल्कुल भी नहीं होता और यदि कोई दूसरा बदतमीज़ी कर रहा है तो यह भी तू तकार शुरू कर देते हैं। यदि कोई साधारण व्यक्ति बद तमीज़ है तो इस से इसे तो कोई अन्तर नहीं पड़ता। इसके आचार तो यही कहेंगे बड़ा अनैतिक है नैतिकता से गिरे हुए हैं लेकिन जब उहदेदार के मुंह से ग़लत शब्द लोगों के सामने निकलते हैं तो उहदेदार की अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा पर आरोप आता है और साथ ही जमाअत के लोगों पर प्रभाव पड़ता है। जमाअत की जो गुणवत्ता होनी चाहिए और जिस गुणवत्ता पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हमें देखना चाहते हैं उसमें एक भी अगर कहीं भी एक उदाहरण हो तो जमाअत की बदनामी का कारण बनती है और हो सकती है और यह उदाहरण कुछ स्थानों पर मिलते हैं। मस्जिदों में भी झगड़े शुरू हो जाते हैं और ये बातें बच्चों और युवाओं पर बहुत बुरा असर डालती हैं।

अल्लाह हमसे क्या चाहता है और कुरबानी के उच्च मानकों को स्थापित करने वालों का अल्लाह तआला ने किस तरह उल्लेख किया है। एक जगह फरमाया कि

وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ

(अल्हशर 10) कि मोमिन जो हैं अपने धार्मिक भाइयों को अपने नफ़्सों पर प्राथमिकता देते हैं। यह उदाहरण अंसार ने मुहाजरीन के लिए स्थापित किया। और यही एक नमूना हमारे लिए है। यह नफ़्सों को प्राथमिकता देना तो बड़ी दूर की बात है और बड़ी बात है, कई बार तो जो किसी का अधिकार है वह भी पूरी तरह से अदा नहीं किया जाता। लोगों के कुछ मामले उहदेदारों के पास आते हैं या केंद्र में रिपोर्ट भिजवाने के लिए आते है या केंद्र से रिपोर्ट भेजने के लिए कुछ मामले भेजे जाते हैं तो बड़ी बे ध्यानी से मामले की रिपोर्ट दी जाती है। सही रंग में अनुसंधान नहीं किया जाता और रिपोर्ट भिजवाई जाती है या मामले को इतना लटका दिया जाता है कि अगर किसी ज़रूरत मंद की ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई आवेदन है तो समय पर ज़रूरत पूरी न होने के कारण इस ज़रूरत मंद को हानि हो जाती है या असुविधा झेलनी पड़ती है। कुछ उहदेदार अपनी व्यस्तता का भी बहाना कर देते हैं। कुछ के पास कोई बहाना नहीं होता केवल ध्यान न देना होता है। अगर इन के अपने मामले हों या किसी क़रीबी के मामले हों तो प्राथमिकताएं बदलती हैं।

इसलिए वास्तविक सेवा की भावना, त्याग की भावना, अपनी अमानत का सही हक अदा करना तो यह है कि एक चिंता के साथ दूसरे के काम आया जाए और जब यह कुरबानी की भावना और अन्य की परेशानी को अपनी परेशानी समझ कर काम किया जाएगा तो जमाअत के लोगों की भी कुरबानी की गुणवत्ता बढ़ेगी। एक दूसरे के अधिकार मारने के स्थान पर अधिकार देने की ओर ध्यान होगा। हम दूसरों के सामने तो यह कहते हैं कि दुनिया में शांति तब स्थापित हो सकती है जब हर स्तर पर अधिकार लेने और अधिकार छीनने के स्थान पर अधिकार देने और कुरबानी की भावना पैदा हो लेकिन हमारे अंदर अगर यह गुणवत्ता नहीं तो हम एक ऐसा काम कर रहे होंगे जो अल्लाह तआला को नापसंद है।

फिर एक विशेषता जो विशेष रूप से उहदेदारों के अंदर होनी चाहिए। वह विनम्रता है। अल्लाह तआला ने रहमान के बन्दों की यह निशानी बताई है कि يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا (अल्फुरकान 64) वह ज़मीन पर विनम्रता से चलते हैं। इसलिए यह भी उच्च उदाहरण हमारे उहदेदारों में होना चाहिए। जितना बड़ा किसी के पास पद है उतनी ही अधिक उसे सेवा की भावना से लोगों के मिलने के मामले में विनम्रता दिखानी चाहिए और यही महानता है। लोग देखते भी हैं और महसूस भी करते हैं कि उहदेदारों के व्यवहार क्या हैं। कई बार लोग मुझे लिख भी देते हैं कि उस उहदेदार का रवैया ऐसा था लेकिन आज मुझे बड़ी ख़ुशी हुई कि इस उहदेदार ने मुझे न केवल सलाम किया बल्कि मेरा हाल भी पूछा और बड़ी नैतिकता से व्यवहार किया और इस व्यवहार को देख कर ख़ुशी हुई और इस से उहदेदार की महानता प्रकट होती है।

इसलिए अधिकतर जमाअत के लोग तो ऐसे है कि उहदेदारों के प्यार नर्मी और करूणा के व्यवहार से ख़ुश हो कर हर कुरबानी के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर किसी उहदेदार के दिल में अपने पद के कारण से किसी भी प्रकार की बड़ाई उठती है या अहंकार पैदा होता है तो उसे याद रखना चाहिए कि यह बात अल्लाह तआला से दूर करती है और जब ख़ुदा तआला से मनुष्य दूर हो जाता है तो फिर काम में बरकत नहीं रहती और धर्म का काम तो है ही विशेष रूप से ख़ुदा तआला की प्रसन्नता के लिए और जब ख़ुदा तआला की ख़ुशी ही नहीं रही तो ऐसा व्यक्ति जमाअत के लिए लाभ के स्थान पर नुकसान का कारण बन जाता है।

इसलिए हमेशा उहदेदारों को विशेष रूप से इस मामले में अपनी समीक्षा लेनी चाहिए कि उनमें विनम्रता है या नहीं और है तो किस हद तक है। आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना कोई विनम्रता और विनम्र अपनाता है अल्लाह तआला इतना ही उसे ऊंचा पद प्रदान करता है।

(मुस्लिम किताबुल बिर्रेवस्सिला हदीस 6487)

अत: प्रत्येक उहदेदार को याद रखना चाहिए कि अगर अल्लाह तआला ने उसे जमाअत की सेवा का अवसर दिया है तो यह अल्लाह तआला का उपकार है और फज़ल है। उसमें अधिक विनम्रता और विनय का पैदा होना है। अगर यह विनम्रता और विनय अधिक पैदा नहीं होती तो अल्लाह तआला के एहसान का शुक्र अदा नहीं होता।

कभी-कभी देखने में आता है कि कुछ लोग सामान्य परिस्थितियों में अगर मिलें तो बड़ी विनम्रता प्रकट करते हैं लोगों से भी सही ढंग से मिल रहे हैं लेकिन जब किसी को अपने अधीन या साधारण आदमी से असंतोष हो जाए तो तुरंत उनकी अफसरी की रग जाग जाती है और बड़े उहदेदार होने का अहंकार अपने अधीनस्थों के साथ अंहकार पूर्ण व्यवहार प्रकट करवा देता है। तो विनम्रता यह नहीं कि जब तक कोई जी हुज़ूरी करता रहे किसी ने असहमति नहीं की तब तक विनम्रता व्यक्त हो। यह बनावटी विनम्रता है वास्तविक तथ्य तब खुलता है जब असंतोष या सहायक इच्छा के ख़िलाफ बात कर दे तो फिर न्याय पर कायम रहते हुए इस राय का अच्छी तरह ध्यान कर के फैसला किया जाए। अत: इस विनम्रता के साथ ऊंचा हौसला भी व्यक्त होगा और जब यह हो जाएगा तो यह विनम्रता वास्तविक विनम्रता कहलाएगी।

हमेशा उहदेदार को अल्लाह तआला का यह आदेश सामने रखना चाहिए कि

وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا

(लुकमान 19) और अपने गाल लोगों के सामने ग़ुस्सा से मत फुलाओ। (और अपना मुंह क्रोध से न फुलाओ) और ज़मीन में अंहकार से मत चलो।

राय के मतभेद की मैंने बात की है तो इस बारे में यह भी बता दूं कि नियम बेशक अमीर जमाअत को यह अनुमति देते हैं कि कई बार वह कार्यकारिणी की राय को अस्वीकार करके अपनी राय के अनुसार निर्णय करेगा लेकिन हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि सबको साथ लेकर चला जाए और परामर्श से बहुमत राय से ही फैसले हों और काम हों। कुछ स्थान पर अमीर इस अधिकार को अत्यधिक उपयोग करने लग जाते हैं। इस अधिकार का उपयोग चरम मामले में होना चाहिए। जहां यह पता हो कि जमाअत का यह हित हो और फिर वहाँ कार्यकारिणी पर स्पष्ट भी कर दिया जाए। जमाअत के व्यापक हितों को सामने रखते हुए यह होना चाहिए। इसके लिए दुआ से अल्लाह तआला की मदद भी लेनी चाहिए। केवल अपनी बुद्धि पर भरोसा न करें। स्पष्ट है कि यह अधिकार जमाअत के सदरों को नहीं जहां राष्ट्रीय सदर हैं वहाँ भी उन्हें नहीं कि कार्यकारिणी की राय को खारिज करते हुए अपनी राय के अनुसार फैसला करें। अपने अपने दायरे को समझने के लिए उहदेदारों के लिए आवश्यक है कि नियमों को पढ़ें और समझें। अगर नियमों के अनुसार कार्य करेंगे तो कुछ छोटी छोटी समस्याएं जो कार्यपालिका के अंदर या जमाअत के व्यक्तियों के लिए चिंता का विषय बन जाती हैं वे नहीं बनेंगी।

फिर एक गुण उहदेदारों का यह भी होना चाहिए कि वह अधीनस्थों से अच्छा व्यवहार करें। जमाअत के अक्सर काम तो स्वैच्छिक होते हैं। जमाअत के लोग जमाअत के काम के लिए समय देते हैं कि वह ख़ुदा तआला की ख़ुशी चाहते हैं। इसलिए समय देते हैं कि उन्हें जमाअत से संबंध और प्यार है। इसलिए उहदेदारों को भी अपने काम करने वालों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए और उनसे सम्मान से पेश आना चाहिए और यही अल्लाह तआला का भी आदेश है।

फिर सम्मान के साथ अपने नायब और अधीनस्थों को काम सिखाने की भी कोशिश करनी चाहिए ताकि जमाअत का काम बेहतर रूप में चलाने के लिए हमेशा कार्यकर्ता मुहैया होते रहें। जमाअत के कामों को तो अल्लाह तआला चला रहा है इसमें तो कोई शक नहीं है लेकिन अगर उहदेदार जिन्हें कार्य का अनुभव है कार्य करने वालों की दूसरी पंक्ति तैयार करते हैं तो उन्हें इस काम का भी सवाब मिलेगा। अल्लाह तआला की कृपा से न ही मुझे न पहले ख़लीफ़ाओं को कभी यह चिंता हुई कि जमाअत के काम कैसे चलेंगे यह तो अल्लाह तआला का हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से वादा है। वह इंशा अल्लाह तआला काम करने वाले श्रद्धालो उपलब्ध करता रहेगा।

(उद्धरित बराहीन अहमदिया रूहानी ख़ज़ायन भाग 1 पृष्ठ 267 हाशिया)

हज़रत ख़लीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह के समय में एक उहदेदार का

मानना था कि मेरी रणनीति और मेरी मेहनत के कारण से वित्तीय प्रणाली उत्कृष्ट रूप में चल रही है। हज़रत ख़लीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह को जब यह पता चला तो आप ने उसे हटाकर एक ऐसे व्यक्ति को निर्धारित कर दिया जिसे माल का क ख नहीं पता था लेकिन क्योंकि यह अल्लाह तआला का काम है और समय के ख़लीफा के साथ अल्लाह तआला से जो व्यवहार है इसलिए वह नवागंतुक उहदेदार को जिसे कुछ भी नहीं पता था इस काम में इतनी बरकत पड़ी कि इससे पहले कभी कल्पना भी नहीं थी।

इसलिए उहदेदारों को तो अल्लाह तआला मौका देता है। जमाअत के कार्यकर्ताओं को तो अल्लाह तआला मौका देता है। वाकफीन ज़िन्दगी को तो ख़ुदा तआला मौका देता है कि वे जमाअत की और धर्म की सेवा करके अल्लाह तआला के फज़लों के वारिस बनें वरना काम तो ख़ुद अल्लाह तआला का है और यह उसका वादा है। इसलिए किसी के मन में यह विचार नहीं होना चाहिए कि मेरा अनुभव और मेरा ज्ञान जमाअत के कार्य चला रहा है या मेरा अनुभव और ज्ञान जमाअत के कार्यों को चला सकता है। जमाअत के कार्यों को ख़ुदा तआला का फज़ल चला रहा है। हमारी कई कमज़ोरियां कमियां ऐसी हैं अगर सांसारिक काम हो तो उनमें वह बरकत हो ही नहीं सकती। उनके वे अच्छे नतीजे निकल ही नहीं सकते लेकिन अल्लाह तआला छिपाता है और ख़ुद फरिशतों के माध्यम से सहायता करता है।

तब्लीग़ के जैसे काम हैं इस में ही इन पश्चिमी देशों में भी अल्लाह तआला ने ऐसे कार्यकर्ता यहाँ पले बढ़े युवा प्रदान कर दिए हैं जिन्होंने अपने दम पर धार्मिक ज्ञान हासिल किया है और फिर अहमदियत के विरोधियों के मुँह बंद करते हैं और ऐसे जवाब देते हैं कि आदमी हैरान रह जाता है और फिर कई ऐसे युवा हैं जिनके ऐसे जवाबों से विरोधियों को भागने के अतिरिक्त कोई रास्ता नज़र नहीं आता। इसलिए उहदेदार धर्म की सेवा के अवसर को अल्लाह तआला का फज़ल समझें न कि अपने किसी अनुभव और योग्यता के कारण।

फिर एक विशेषता उहदेदारों में जो होनी चाहिए वह बशाशत है और नैतिकता से व्यवहार करना है। अल्लाह तआला फरमाता है: وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا (अल्बकर: 84)अर्थात और लोगों के साथ नरमी से बात करो और नैतिकता से पेश आओ। तो यह भी एक बुनियादी गुण है जो उहदेदारों में बहुत अधिक होना चाहिए अपने अधीनस्थों से अपने साथ काम करने वालों से भी जब बातचीत करें और इसी तरह अन्य लोगों से भी जब बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि उनसे उच्च नैतिकता का प्रदर्शन होना चाहिए। सख्ती से बात करना कई बार प्रशासनिक मामलों की वजह से ज़रूरत पड़ जाती है लेकिन यह जरूरत अत्यधिक कदम है और अगर प्यार से किसी को समझाया जाए और उहदेदार लोगों को यह एहसास दिला दें कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं तो नब्बे प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो समझ जाते हैं और जमाअत से सहयोग करने को तैयार होते हैं इसलिए कि जमाअत से उन्हें एक संबंध है लेकिन बड़ी और महत्त्वपूर्ण शर्त यही है कि लोगों में यह भावना पैदा हो या लोगों को यह एहसास हो जाए कि उहदेदार हमारे हमदर्द हैं। नरमी से लोगों से बात करें। किसी की ग़लती पर शुरू में ही इस तरह पकड़ न कर लें कि दूसरे को अपनी सफाई का सही तरह मौका ही न मिले। हां जो आदी हैं, बार बार करने वाले हैं, बात बात पर उपद्रव और फसाद पैदा करने की कोशिश करते हैं उनके साथ सख्ती भी करनी पड़ती है लेकिन इसके लिए पूरी तरह अनुसंधान होना चाहिए और फिर साथ ही यह सख्ती भी निजी शत्रुता का रूप धारण करनी वाली नहीं होनी चाहिए। बल्कि सुधार के लिए होनी चाहिए। आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने एक अवसर पर अपने निर्धारित यमन के वली को यह नसीहत फरमाई थी कि लोगों के लिए आसानी पैदा करना। मुश्किलें न पैदा करना और प्यार और खुशी फैलाना। घृणा न पनपने देना।

(मुस्नद अहमद बिन हंबल भाग 6 पृष्ठ 638 हदीस 19935 संस्करण आलमुल कुतुब बैरूत 1998 ई)

इसलिए यह ऐसी नसीहत है जो उहदेदारों और जमाअत के व्यक्तियों के बीच भी संबंध में सौंदर्य पैदा करती है और फिर इसके परिणाम में आपस में लोग जमाअत में भी एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखने की रूह पैदा होती है।

इसलिए उहदेदारों की और विशेष रूप से सदरों और तरबियत के विभागों और फैसला करने वाली संस्थाओं की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि लोगों के लिए आसानियां बनाने के तरीके सोचें लेकिन यह भी ध्यान योग्य है कि अल्लाह तआला के आदेश के अंदर रहते हुए यह तरीके अपनाने हैं। दुनियादारों की तरह नहीं कि आसानियां बनाने के लिए ख़ुदा तआला की आज्ञाओं को भूल जाएँ। हम ने शरीयत की सीमा के भीतर रहते हुए ख़ुदा तआला की ख़ुशी का स्वागत करते हुए बन्दों के भी हक़ अदा करने हैं और अपने पदों और अपनी अमानतों की भी रक्षा करनी है।

फिर जैसा कि मैंने कहा कि नियमों की किताब हर उहदेदार को देखनी चाहिए और अपने क्षेत्र के कार्यों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रत्येक को अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए। कई बार उहदेदारों को अपनी सीमाओं का भी पता नहीं होता एक विभाग एक काम कर रहा है,जबकि नियमों में दूसरे क्षेत्र में वह काम लिखा होता है। या कई बार ऐसा सूक्ष्म अंतर कार्यों के बारे में होता है जिस पर विचार न करते हुए दो क्षेत्र एक दूसरे की सीमा में प्रवेश कर रहे होते हैं।

पिछले दिनों में मेरी यहाँ यू.के की कार्यकारिणी से भी बैठक थी। वहां भी मुझे एहसास हुआ कि इस बारीक अंतर को न समझने के कारण अकारण बहस शुरू हो जाती है। अगर नियम को पढ़ें तो इस तरह समय बर्बाद न हो। जैसे तब्लीग़ विभाग ने भी तब्लीग़ अभियान भी चलाना है और संपर्क भी करने हैं। संपर्कों से ही तब्लीग़ आगे फैलेगी। इसी तरह अमूरे ख़ारजा विभाग है उसने भी संपर्क करने हैं और जमाअत का परिचय भी करवाना है। दोनों का क्षेत्र अलग है एक ने तब्लीग़ उद्देश्य के लिए करना है दूसरे ने अपनी सार्वजनिक संबंध के लिए यह काम करना है। संबंध बढ़ाने के लिए यह काम करना है। मूल उद्देश्य तो जमाअत का परिचय और धर्म की ओर मार्गदर्शन है ताकि दुनिया को ख़ुदा तआला की ओर लाकर उनकी दुनिया और परलोक भी संवारने की हम कोशिश करें और विश्व शांति की स्थिति की ओर भी ध्यान दिलाया जाए। सांसारिक रूप में कोई क्रेडिट लेना तो हमारा उद्देश्य नहीं है। मूल उद्देश्य तो ख़ुदा तआला को ख़ुश करना और ख़ुशी हासिल करना है। अगर विभाग आपस में सहयोग से काम करें तो परिणाम कई गुना बेहतर निकल सकते हैं।

फिर प्राय स्थानों से इस बात को भी व्यक्त किया जाता है कि विभागों के बजट सही तरह आवंटित नहीं किए जाते। हर विभाग को बजट जो शूरा में पास हुआ होता है वह बजट दिया जाना चाहिए और इस का खर्च संबंधित सैक्रेटरी का अधिकार होना चाहिए। हाँ यह आवश्यक है कि सैक्रेटरी साल के काम की योजना कार्यकारिणी में पेश करे और अनुमोदित योजना के अनुसार खर्च हो और फिर काम की समीक्षा प्रत्येक कार्यकारिणी बैठक में लिया जाए और यदि अनुमोदित परियोजना में या काम के तरीके में किसी बदलाव की ज़रूरत या सुधार की गुंजाइश की ओर किसी का ध्यान हो तो दिलाया जाए तो इस पर दोबारा विचार कर लिया जाए।

फिर अमीरों और सदरों और जमाअत की सेकट्रीयों का यह भी बहुत महत्त्वपूर्ण काम है कि केंद्र से जो निर्देश जाते हैं या परिपत्र जाते हैं उन पर त्वरित और पूरी ध्यान से कार्रवाई और अपनी जमाअतों के द्वारा भी करवाया जाए। कुछ जमाअतों के बारे में यह शिकायत मिलती है कि केंद्र के निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया जाता। अगर किसी निर्देश के बारे में किसी विशेष देश या जमाअत को कुछ विचार घरेलू स्थिति की वजह से हों तो भी तुरंत केंद्र से संपर्क कर उसमें स्थिति के अनुसार बदलाव का आवेदन करना चाहिए और यह अमीर जमाअत और सदर का काम है लेकिन यह किसी तरह से भी उचित नहीं कि अपनी बुद्धि लड़ाते हुए इस निर्देश को एक तरफ रख कर दबा दिया जाए और उस पर पालन न करवाया जाए और न ही केंद्र को सूचित किया। किसी भी अमीर या सदर जमाअत की जो यह हरकत है यह केन्द्र के विरूद्ध रवैया समझी जाएगी और इस विषय में फिर केंद्र कार्रवाई भी कर सकता है।

मूसियों के विषय में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि पहली बात तो मूसियों को यह याद रखना चाहिए कि अपने चंदे की नियमित अदायगी और उसका हिसाब रखना प्रत्येक मूसी की अपनी ज़िम्मेदारी है लेकिन मुख्य कार्यालय और संबंधित सैकट्रेरीयों का काम भी है कि हर मूसी का हिसाब पूरा रखें और जब ज़रूरत हो उन्हें याद भी करवाएं कि उनके चंदे की क्या स्थिति है? मुल्क की जमाअत का काम है कि स्थानीय जमाअतों के सैक्रेटरियों को हरकत में लाएं और हर मूसी उनके संपर्क में हो। कई बार देखने में आता है कि किसी मामले में किसी व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट मंगवाई जाती है और वह व्यक्ति मूसी होता है। रिपोर्ट में उल्लेख किया जाता है कि वह इतने समय से वसीयत का चंदा नहीं दिया। जब पूछा जाए कि वसीयत का चंदा नहीं दिया तो वसीयत कैसे स्थापित है? तो शोध करने पर पता चलता है कि मूसी का दोष नहीं था। उसने चंदा तो दिया था रिकॉर्ड रखने वालों ने कार्यालय ने सही रिकार्ड नहीं रखा। एक तो ऐसी रिपोर्ट अकारण मूसी को परेशान करने का कारण बनती है। दूसरे जमाअतों में निज़ाम की कमज़ोरी का भी बुरा असर पड़ता है। अब तो ठोस हिसाब की व्यवस्था हो चुकी है। बड़ा systomatic तरीका है। कंप्यूटर हैं सब

कुछ हैं। ऐसी ग़लती नहीं होनी चाहिए। हर देश के वसीयत के सेकट्रीयान और माल के सेकट्रीयान अपने देश की हर जमाअत के संबंधित सेकट्रीयान को हरकत में लाएं और जमाअत के सदर का भी यह काम है कि समय समय पर समीक्षा करते रहा करें। केवल चंदा इकट्ठा करने और उसकी रिपोर्ट करना उनका काम नहीं है बल्कि इस प्रणाली को विश्वसनीय बनाना और केंद्र और स्थानीय जमाअत की प्रणाली में मज़बूत सम्बंध पैदा करना भी उहदेदारों का काम है।

इसी तरह एक बात मुबल्लिग़ों और मुरब्बियों के बारे में भी कहना चाहता हूँ कुछ जगह मरब्बियों की नियमित हर महीने मीटिंग नहीं होती। मुबल्लिग़ इन्चार्ज इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि यह मीटिंग नियमित हों। जमाअत की तरबियत और तब्लीग़ कार्य का भी अवलोकन हो जो बेहतर काम किसी ने किया है इस विषय में चर्चा हो और किसी की ओर से इस बेहतर काम का जो तरीका अपनाया गया था इससे दूसरे भी लाभ उठाने की कोशिश करें। इसी तरह जो जमाअत के सेकट्रीयान जमाअतों को निर्देश देते हैं या केंद्र के निर्देश पर जमाअतों को निर्देश भिजवाए जाते हैं इस बारे में भी रिपोर्ट दें। मुरब्बियान यह भी देखा करें कि हर जमाअत में इस संबंध में कितना काम हुआ है और जहां सेकट्रीयान सक्रिय नहीं हैं, विशेष कर के तब्लीग़ और तरबियत और वित्तीय कुरबानी के मामले में वहाँ मुरब्बियान और मुबल्लिग़ इन्हें ध्यान दिलाएं।

अल्लाह तआला सभी उहदेदारों को तौफीक़ दे कि उन्हें अल्लाह तआला ने जो अगले तीन साल के लिए सेवा का मौका दिया है इसमें वह अधिकतम काम अपनी पूरी क्षमताओं के साथ निष्पादित कर सकें और अपनी हर कथनी और करनी से जमाअत में नमूना बनने वाले हों।

नमाज़ के बाद एक नमाज़ जनाज़ा भी पढ़ाऊंगा। यह ग़ायब जनाज़ा है जो आदरणीया साहिबज़ादी ताहिरा सिद्दीक़ा साहिबा पत्नी आदरणीय साहिबज़ादा मिर्ज़ा मुनीर अहमद साहब का है। 13 जूलाई 2016 ई को शाम छह बजे उनकी वफात हुई थी। इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजेऊन। आप हज़रत नवाब अब्दुल्लाह खान और नवाब अमतुल हफीज़ बेगम साहिबा के यहां पैदा हुईं। हज़रत नवाब मुहम्मद अली खान की पोती थीं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की निवासी थीं। हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब की बहू थीं। अल्लाह तआला की कृपा से मूसिया थीं। आपने 95 साल उम्र पाई। कादियान में प्रारंभिक शिक्षा मैट्रिक तक प्राप्त की। हज़रत अम्मा जान रज़ियल्लाहो अन्हा ने उन्हें अपनी बेटी बनाया हुआ था और उनके साथ बड़ा ख़याल, प्यार और स्नेह का व्यवहार था। झेलम में आदरणीय साहिबज़ादा मिर्ज़ा मुनीर अहमद साहब के साथ रहीं। जहां उनकी (मिर्ज़ा मुनीर अहमद साहिब की) चिप बोर्ड फैक्टरी थी जो कुछ महीने पहले जलाई गई थी तो वहां यह सदर लज्ना की सेवाएं भी करती रहीं। फिर 1974 ई के जो दंगे हुए तो झेलम की जमाअत का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ चिप बोर्ड कारखाने में जमा हो गया था और उन स्वर्गीया ने जमाअत के लोगों का बड़े अच्छे रंग में आतिथ्य भी इन दिनों में किया। आप की एक पुत्री हैं साहिबज़ादी अमतुल हसीब बेगम जो आदरणीय मिर्ज़ा अनस अहमद साहिब जो हज़रत ख़लीफतुल मसीह सालिस के बेटे हैं उनकी पत्नी और एक बेटा मिर्ज़ा नसीर अहमद साहिब हैं यह अमीर जमाअत झेलम रहे हैं। अभी तक थे जब उनकी फैक्टरी गई तो वहां से झेलम छोड़ना पड़ा। इसी तरह मिर्ज़ा सफीर अहमद हज़रत ख़लीफतुल मसीह राबे के दामाद हैं यह भी आप के बेटे हैं। स्वर्गीया ख़ुश मिज़ाज, हंसमुख और मिलनसार थीं। धैर्यवती और शुक्र वाली तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाली, इबादत में शौक रखने वाली महिला थीं। ख़िलाफत के साथ भी बड़ा गहरा संबंध था। वित्तीय तहरीकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली थीं। आतिथ्य भी इन की विशेषता थी। यह जमाअत के निज़ाम और सिलसिला का बहुत सम्मान रखने वाली महिला थीं। ख़िलाफत के निज़ाम के ख़िलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं थी अगर कोई निज़ाम के ख़िलाफ बोलता ख़लीफ़ा के ख़िलाफ तो तुरंत रोक देतीं। हज़रत अम्मा जान ने जैसा कि मैंने कहा उन्हें बेटी बनाया हुआ था हज़रत अम्मा जान ने अपना निजी बहुत सारा दहेज का सामान उन्हें दे दिया था जिस पर हज़रत अम्मा जान का नाम भी लिखा है।

अल्लाह तआला मरहूमा के स्तर ऊंचा करे। माफी का व्यवहार करे। दया का व्यवहार करे और उनके वंश को भी उनकी नेकियों पर चलने की शक्ति प्रदान करे और ख़िलाफत से हमेशा जुड़े रखे।

☆ ☆ ☆

पृष्ठ 2 का शेष

उसके बाद भी यह जारी रहे और फिर तक्वा और परहेज़गारी में बढ़ने की तरफ यह एक स्थायी सफर बन जाए।

मैं आप को तब्लीग़ के बारे में आप के दायित्वों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रत्येक अहमदी के लिए तब्लीग़ अत्यंत आवश्यक है। और सफल तब्लीग़ के लिए अपना उत्कृष्ट नमूना स्थापित करना भी महत्त्वपूर्ण है। इसलिए अगर हमारे कर्म इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार हों और हमारी प्रत्येक कथनी और करनी पवित्र कुरआन के निर्देश के अनुसार हो। और हमारा व्यवहार और बरताव हज़रत मसीह मौऊद की इच्छा के अनुरूप हो तो यह बात न सिर्फ आप के देश वासियों बल्कि पूरी दुनिया तक अहमदियत के संदेश को पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम होगी।

याद रखें ख़िलाफत अहमदिया का काम हज़रत मसीह मौऊद के मिशन को आगे बढ़ाना है। प्रत्येक अहमदी बैअत के समय बैअत की शर्तों को पूरी करने और समय के ख़लीफा की मारुफ रंग में पालन करने की प्रतिज्ञा करता है। इसलिए आप को यह याद रखना चाहिए कि हर अहमदी जब ख़लीफतुल मसीह के हाथ पर बैअत करता है तो यह भी ज़रूरी है कि वे इस वादा को पूरा करने के लिए काम भी करें। अगर जमाअत का प्रत्येक व्यक्ति ख़लीफतुल मसीह के निर्देश और उपदेशों का पालन करे तो उन्नत आज्ञाकारिता और एकता स्थापित हो। और विकास और इस्लाम की तब्लीग़ और मानव सेवा की अद्भुत राहें खुलेंगी।

मैं आपको यह भी नसीहत करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अधिकतम M.T.A सुनें और मेरे ख़ुत्बे और विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों को सुनें। इस से न केवल ख़िलाफत अहमदिया से आप का वफा का संबंध दृढ़ होगा, बल्कि M.T.A के अन्य कार्यक्रम देखने से इस्लाम की सुन्दरता और अहमदियत की विभिन्न गुणों के बारे में आप के ज्ञान में भी वृद्धि होगी।

आख़िर, मैं यह कहना चाहूंगा कि जलसा सालाना में सम्मिलित होने के कारण से आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इन दुआओं से भी लाभान्वित होने वाले हैं जो आप ने विशेष कर के उन लोगों के लिए की हैं जो जलसा सालाना में शामिल होने वाले हैं। आप फरमाते हैं:

"अल्लाह तआला से दुआ करता हूँ कि हर एक सज्जन जो इस इलाही जलसे के लिए सफर करें, ख़ुदा तआला उनके साथ हो और उन्हें महान इनाम बख़्शे और उन पर दया करे ... हे सम्मान तथा नेअमतें देने वाले ख़ुदा, रहीम और संकट मोचन, यह सभी दुआएं स्वीकार कर और हमें हमारे विरोधियों में उज्ज्वल निशानों के साथ प्रभुत्व संपन्न फरमा कि प्रत्येक बल और शक्ति तुझ को ही हैं। आमीन!"

(इश्तिहार, 7 दिसंबर 1891 ई)

अल्लाह तआला आप के जलसा सालाना को भव्य सफलता से सम्मानित करे और आप सभी को अधिक से अधिक तक्वा और आध्यात्मिकता में विकास करने की तौफ़ीक़ प्रदान करे।

वस्सलाम

आप का शुभ चिंतक

मिर्ज़ा मसरूर अहमद

ख़लीफतुल मसीह अल्ख़ामिस

☆ ☆ ☆

☆ ☆

इस्लाम और जमाअत अहमदिय्या के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें

नूरुल इस्लाम नं. (टोल फ्री सेवा) :

1800 3010 2131

(शुक्रवार को छोड़ कर सभी दिन सुबह 9:00 बजे से रात 11:00 बजे तक)

Web. www.alislam.org, www.ahmadiyyamuslimjamaat.in

EDITOR
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Editor : +91-9915379255
e-mail : badarqadian@gmail.com
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF THE NEWSPAPERS FOR INDIA AT NO RN XXX
The Weekly BADAR Qadian
Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA
PUNHIND 01885 Vol. 1 Thursday 18 Augstl 2016 Issue No. 24

MANAGER : NAWAB AHMAD
Tel. : +91- 1872-224757
Mobile : +91-94170-20616
e-mail:managerbadrqnd@gmail.com
ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/-

इस्लाम में अज़ान का इतिहास

इबादत के समय के निर्धारण में आसानी और लोगों को समय पर इसे अदा करने को बुलाने के लिए मज़हबों ने इबादत की दावत देने के विभिन्न तरीके अपनाए ताकि मोमिनों को पता चल जाए कि नमाज़ का वक्त हो गया है। इनमें नाक़ूस फूँकना, बिगुल बजाना या आग आदि जलाना शामिल है या जो भी ऐलान और चेतावनी देने के विभिन्न माध्यम हो सकते हैं।

अज़ान मक्का में फर्ज़ (अनिवार्य) नहीं हुई थी क्योंकि मुस्लिम अल्पसंख्यक थे और क़ुरैश के डर से छिप कर रहते थे इसलिए वहाँ किसी भी नमाज़ के वक्त होने का खुले तौर पर एलान नहीं किया जा सकता था, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर गए और वहां मुसलमानों की संख्या में वृद्धि हुई तो अज़ान की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जाने लगी तो लोगों को नमाज़ के वक्त के बारे में बताया जा सके क्योंकि उन्हें इसका पता नहीं हो पाता था। या वो कामकाज में व्यस्त हो जाते थे और नमाज़ का वक्त निकल जाने का उन्हें पता ही नहीं चल पाता था और इस तरह वो अपने रब के एक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य को पूरा करने में कोताही बरतने के दोषी हो जाते थे।

सही मुस्लिम में आया है कि जब मुसलमान हिजरत कर के मदीना पहुंचे तो समय निर्धारित करके नमाज़ के लिए आते थे। इसके लिए अज़ान नहीं दी जाती थी। एक दिन इस बारे में मशवरा हुआ। किसी ने कहा ईसाईयों की तरह एक घंटा ले लिया जाए और किसी ने कहा कि यहूदियों की तरह तुरही (बिगुल बना लो, उसको फूंक दिया करो) लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहो अन्हो ने कहा कि किसी व्यक्ति को क्यों न भेज दिया जाए जो नमाज़ के लिए पुकार दिया करे। इस पर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने (इसी राय को पसंद फरमाया और बिलाल से) फरमाया कि बिलाल! उठ और नमाज़ के लिए अज़ान दे।

(सही मुस्लिम 2 किताबुस्सलात: अध्याय बदअल अज़ान)

एक और रिवायत में है कि जब अज़ान की ज़रूरत महसूस की गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इस मसले पर परामर्श किया तो उन्हें कहा गया कि "नमाज़ का वक्त होने पर झंडा स्थापित कर दिया जाए जब वो इसे देखेंगे तो एक दूसरे को बता देंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को ये तरीका पसंद नहीं आया, इसलिए यहूदियों के बिगुल का ज़िक्र हुआ जिसे अलशबूर या अलक़बा कहा जाता था। ये एक सींग है जिससे वो लोगों को नमाज़ की ओर बुलाते हैं लेकिन नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ये तो यहूदियों का तरीका है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सामने नाक़ूस का वर्णन हुआ जिससे ईसाई लोगों को नमाज़ की तरफ बुलाते थे, तो नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: ये तो ईसाइयों का तरीका है, तो लोगों ने कहा: अगर हम आग जला लें तो जब लोग इसे देखेंगे, नमाज़ के लिए आ जाऐंगे, तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: ये मजूसियों का तरीका है।

"मोहम्मद बिन साद" ने अज़ान की शुरुआत के किस्से को कुछ इस तरह बयान किया है कि अज़ान का हुक्म होने से नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का मुनादी लोगों को आवाज़ देता था कि "अस्सलातल जामेआ" नमाज़ जमा होने वाली है, तो लोग इकट्ठा हो जाते थे, जब क़िबला काबे की तरफ फेर दिया गया तो अज़ान का हुक्म दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को अज़ान के मामले की भी बड़ी चिंता थी। लोगों ने आप से इन कुछ बातों का उल्लेख किया, जिनसे लोग नमाज़ के लिए एकत्र हो जाएं, कुछ ने कहा कि सूर और कुछ ने कहा कि नाक़ूस बजा दिया जाए, लोग इसी हालत में थे कि अब्दुल्ला बिन ज़ैद अलख़रजी को नींद आ गई, उन्हें सपने में दिखाया गया कि एक व्यक्ति इस स्थिति से गुज़रा कि उसके शरीर पर दो हरी चादरें हैं, हाथ में नाक़ूस है, अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कहा कि मैंने (इस व्यक्ति से) कहा "क्या तुम ये नाक़ूस बेचते हो, उन्होंने कहा: तुम इसे क्या करोगे? मैंने कहा खरीदना चाहता हूँ कि नमाज़ में हाज़िरी के लिए इसको बजाऊँ, उसने कहा: मैं आप लोगों के लिए इससे बेहतर बयान करता हूँ कि "अल्लाहो अकबर, अल्लाहो अकबर, अश्हदो अन लाइलाहा इल्लल्लाह, अश्होद अन् मोहम्मदर् रसूलुल्लाह, हैय्या लस्सलाह, हय्या ललफलाह, अल्लाहो अकबर, अल्लाहो अकबर, लाइलाहा इल्लल्लाह।" अब्दुल्ला बिन ज़ैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास आए और आप को खबर दी तो आपने कहा कि तुम बिलाल के साथ खड़े हो और जो कुछ तुमसे कहा गया है उन्हें सिखा दो, वो यही अज़ान कहें। उन्होंने ऐसा ही किया। उमर रज़ियल्लाहो अन्हो आए उन्होंने कहा कि मैंने भी ऐसा ही सपना देखा है जैसा उन्होंने देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि प्रशंसा अल्लाह के लिए ही है, और यही सबसे ज़्यादा सही है, अलमा ने कहा कि यही अज़ान कही जाने लगी और "अस्सलातल जामेअत:" की पुकार सिर्फ किसी घटना के लिए रह गई, इसकी वजह से लोग हाज़िर होते थे और उन्हें इस बात की खबर दी जाती थी जैसे जीत की खबर पढ़कर सुनाई जाती थी या और किसी बात का उन्हें हुक्म दिया था तो "अस्सलातल जामेअत:" की पुकार दी जाती थी, अगर वो नमाज़ के वक्त में न हो।

(तब्क़ात इब्ने साद 246/1)

इब्ने साद ने अज़ान की शुरुआत की रिवायत और माध्यों से भी नकल की है, जो उपरोक्त ख़बर के विषय से बाहर नहीं जातीं, ये रिवायत भी अज़ान के ख्वाब को हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रजियल्लाहो अन्हो से सम्बन्धित बताती हैं और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहो अन्हो के ख्वाब को पुष्टि के रूप में पेश करती हैं यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहो ने पहले अपना सपना आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को सुनाया और फिर उनके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहो अन्हो ने अपना सपना आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को सुनाया।

इब्न हिशाम और दूसरों ने भी इस क़िस्से को नक़ल किया है जिससे पता चलता है कि विद्वानों के यहां इस विषय के बारे में यही किस्सा प्रचलित है।

इस्लाम में अज़ान का यही क़िस्सा है, अज़ान से पहले मुसलमान नमाज़ की पुकार "अस्सलात अस्सलात" का वाक्य बोलकर किया करते थे। एक आवाज़ लगाने वाला इस वाक्य को ज़ोर ज़ोर से बोलता ताकि दूसरे सुन लें और नमाज़ के वक्त की तरफ ध्यान दें और नमाज़ वक्त पर अदा कर सकें। विद्वानों ने एक दूसरा वाक्य भी उल्लिखित किया है कि "अस्सलातल जामिअत:" है जिसे नमाज़ के वक्त पर आवाज़ देने वाला बोला करता था । कुछ दूसरे वाक्यों का ज़िक्र हैं जैसे "अलस्सलात" या "हिलमल अलस्सलात"

रिवायत लिखने वालों में नमाज़ के इतिहास पर मतभेद है, कुछ का मानना है कि इसका हुक्म हिजरत के पहले साल में दिया गया था जबकि कुछ दूसरों का मानना है कि इसका हुक्म हिजरत के दूसरे साल में दिया गया था।

मशहूर है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहो अन्हो इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के भी मुअज़्ज़िन हैं बल्कि वो "अबुल मुअज़्ज़िनीन" अर्थात मुअज़्ज़िनों के पितामह हैं, एक और मुअज़्ज़िन भी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के लिए अज़ान दिया करते थे, ये हज़रत "इब्ने उम्म मकतूम" रज़ियल्लाहो अन्हो हैं और ये नेत्रहीन थे। इन दोनों में से जो भी पहले मौजूद होता अज़ान देता। ये भी ज़िक्र किया गया है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहो अन्हा जब अज़ान देते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर खड़े हो जाते और कहते: नमाज़ ऐ रसूलुल्लाह, हैय्या लस्सला, हैय्या ललफलाह।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िनीन में अबा महज़ूरा सुमरा बिन मईर, औस और साद अलक़र्ज़ के नाम भी ज़िक्र हुए हैं। जो हज़रत अम्मार बिन यासिर के मौली थे और कर्ज़ देने का काम किया करते थे, इसीलिए इस नाम से मशहूर हुए। वो अहले क़बा के लिए अज़ान दिया करते थे।

☆ ☆ ☆
☆ ☆

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor:Shaikh Mujahid Ahmad